फाइल नं0-71-1001(099)/23/2022

37/2022/।/147441/2022

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 15 मार्च, 2022

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में अवशेष पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रं-एम0ई0-1/2022/680, दिनांक 22 फरवरी, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-1561/2021/71-2099/753/2021, दिनांक 16 सितम्बर, 2021 के आलोक में राजकीय मेडिकल कालेज, मेंरठ के विभिन्न विभागों हेतु अवशेष पदों के सृजन/आउटसोर्स के पदो को स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 16 सितम्बर,2021 के द्वारा प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानो/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में एम0सी0आई0/ एन0एम0सी0 मानको की पूर्ति एवं चिकित्सालयों के सुगम संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यक मानव संसाधन के लिए पदो के सृजन हेतु मापदण्ड का निर्धारण किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानकीकरण विषयक उक्त शासनादेश की व्यवस्था के अनुरूप राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22-02-2022 द्वारा प्रस्तावित विभागो के संचालन हेतु सम्यक विचारोपरान्त संलग्न (संलग्नक-1-3) तालिका के कॉलम-5 में अंकित विवरणानुसार नियमित श्रेणी के अन्तर्गत शैक्षणिक संवर्ग एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के 896 पद (संलग्नक-1) एवं प्रतिनियुक्ति श्रेणी के अन्तर्गत 02 पद (संलग्नक-2) अर्थात कुल 898 पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में सृजित किये जाने एवं संलग्नक-3 में उल्लिखित 1022 पदो को सर्विसेज के रूप में कार्यात्मक आवश्यकतानुसार आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने (बशर्ते उक्त पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

1. सृजित किये जा रहे पदों पर नियुक्ति निर्धारित अर्हता/आवश्यकता एवं मानकानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का होगा।

2. सृजित पद मानकों तथा कार्यात्मक/वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप होने की दशा में भरे जायेंगे। पदों पर भर्ती/नियुक्ति आदि की कार्यवाही फेजिंग के आधार पर 05 वर्षों में निर्धारित व्यवस्था एवं नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

3. उक्त पदों का सृजन एवं पदों के भरे जाने की स्वीकृति अस्थायी रूप से दी जा रही है। सृजित/भरे जाने हेतु स्वीकृत पदों की निरन्तरता एवं स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. सृजित/भरे जाने हेतु अनुमन्य किये जा रहे उक्त पदों का विभागवार आवंटन करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जायेगा।

5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण/प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा सृजित पदों के संबंध में विसंगतियॉ होने की स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर शासन के संज्ञान में लाया जायेगा।

4- उक्त सृजित पदों पर होने वाला व्यय नियमानुसार सुसंगत मद से वहन किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदान किये गये सैद्धान्तिक अनुमोदन के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, प्रयागराज ।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0।
4- प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ ।
5- संबंधित कोषाधिकारी/ वित्त नियंत्रक ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1।
7- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8- प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0 छठां तल, योजना भवन ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

क्र0सं	पदनाम	मानदण्ड निर्धारण के शासनादेश दिनांक 16-09-2021 के अनुसार अनुमन्य पदों की संख्या	पूर्व में सृजित पदों की संख्या	सृजन हेतु प्रस्तावित पद (3-4)	6 वे वेतन आयोग के अनुसार ग्रे0 पे0 (रू0 में)	वेतनमान (7वे वेतन आयोग के अनुसार रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	Assistant Professor/ Lecturer	102	84	18	7000	68900
2	Associate Professor/ Reader	60	53	7	9000	131400
3	Statistician Cum Assistant Professor	2	1	1	7000	68900
	TOTAL (A)	164	138	26		
4	Assistant Nursing Superintendant	25	4	21	5400	53100
5	Casualty Medical Officer	4	0	4	5400	56100
6	Child Psychologist	1	0	1	5400	56100
7	Deputy Nursing Superintendant	9	0	9	6600	67700
8	Documentalist	1	0	1	5400	56100
9	Research Scientist 1 (Non Medical Microbiologist/ molecular Biologist)	2	0	2	6600	67700
10	Sister	61	10	51	4800	47600
11	Tutors/Demonstrators	48	18	30	5400	56100
12	Staff Nurses	671	68	603	4600	44900
	TOTAL (B)	1001	286	722		
13	Dental Technician	4	2	2	2800	29200
14	Junior Engineer Biomedical Engineer	1	0	1	4200	35400
15	Pharmacist	23	11	12	2800	29200
16	Radiographic Technicians/CT Technicians/MRI Technician/	12	4	8	2800	29200
17	Radiotherapy Technician	2	0	2	2800	29200
18	Refractionist/ Optometrist	3	0	3	2800	29200
19	Superintendant Cental Workshop	1	0	1	4200	35400
20	Technician Asst/ Technician Dialysis/ Plaster Technician	90	13	77	2800	29200
21	Ecg Technician	3	1	2	2800	29200
22	EEG Techinican	1	0	1	2800	29200
	TOTAL (C)	153	93	109		
23	Record Keeper	22	0	22	1900	19900
24	Store Keeper	26	9	17	1900	19900
	TOTAL (D)	48	9	39		
	Grand Total			896		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-2

क्र0सं	पदनाम	मानदण्ड निर्धारण के शासनादेश दिनांक 16-09-2021 के अनुसार अनुमन्य पदों की संख्या	पूर्व में सृजित पदों की संख्या	सृजन हेतु प्रस्तावित पद (3-4)	6 वे वेतन आयोग के अनुसार ग्रे0 पे0 (रू0 में)	वेतनमान (7वे वेतन आयोग के अनुसार रू0 में)
1	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Executive Engineer Civil	**1**	**0**	**1**	**6600**	**67700**
2	Junior Engineer Mechanical	**1**	**0**	**1**	**4200**	**35400**
	TOTAL (B)			**2**		

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-3

क्र0सं	पदनाम	मानदण्ड निर्धारण के शासनादेश दिनांक 16-09-2021 के अनुसार अनुमन्य पदों की संख्या	पूर्व से सृजित पदों की सख्या	अन्तर पदों की संख्या जिसके सृजन का प्रस्ताव (3-4)	मानदेय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Outsourced Posts				सुसंगत शासनादेशों के क्रम में समय-समय पर नियमानुसार निर्धारित मानदेय देय होगा।
1	Deputy Librarian	1	0	1	
2	Medical Social Worker	12	0	12	
3	Legal Adviser	1	0	1	
	TOTAL (1)	14	0	14	
1	Artist Modular	1	0	1	
2	Audio Visual Technician	3	0	3	
3	Audiometry Technician	1	0	1	
4	Cataloger	1	0	1	
5	Dietecian	3	0	3	
6	Occupational Therapists	2	0	2	
7	Psychiatric Social Workers	2	0	2	
8	Speech Therapist	2	0	2	
9	Electricians	9	0	9	
10	Health Assistant	1	0	1	
11	Health Educator	3	0	3	
12	Health Inspectors	3	0	3	
13	Multirehabilation Wokers	2	0	2	
14	Photographer	1	0	1	
15	Driver	10	0	10	
16	Technicial Asstt/Technician/ Dialysis	45	0	45	
17	T.B. and Chest Diseases Health Visitors	2	0	2	
18	Van Driver	2	0	2	
19	Vocational Counsellor	1	0	1	
	TOTAL (2)	94	0	94	
1	Computer Operator / Data Entry Operator	9	0	9	
2	Stenographer	47	0	47	
	TOTAL (3)	56	0	56	
1	Class IV Technical	59	0	59	
2	Class IV Non Technical	775	0	775	
3	Labotatory Attendant	2	0	2	
4	Peon	1	0	1	
5	Class IV workers / Patient Helpers	12	0	12	
6	Sanitary Workers	6	0	6	
7	Security Workers	3	0	3	
	TOTAL (4)	858	0	858	
	Grand Total (1+2+3+4)	**1022**	**0**	**1022**	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।